डीपी-13011 (7) /5/2022-डीपी

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 नवंबर, 2023

सेवा में.

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

विषय: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और उनके कार्यों के संबंध में। महोदय,

कृपया इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उभयिलंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और उभयिलंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 का संदर्भ लें। उक्त नियमावली, 2020 के नियम 10(1) के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों हेतु ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। यह नोट किया गया है कि केवल कुछ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बोर्ड का गठन किया है जबिक अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया है।

- 2. उपर्युक्त के मद्देनजर, एक आदर्श ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की संरचना और इसके कार्यों का ब्यौरा संलग्न है। हालांकि, इसका स्वरूप केवल सांकेतिक और सुझावात्मक है।
- 3. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र/प्रशासनों से अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना इस मंत्रालय को भी दें।
- 4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,

(सुनीता भंडारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

ईमेल: sunita.bhandari@gov.in

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आदर्श ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की संरचना

अध्यक्ष	मुख्य सचिव
सदस्य	पुलिस महानिदेशक
सदस्य सचिव	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मामले को देखने वाले विभाग के प्रधान
	सचिव / सचिव
सदस्य	गृह विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सदस्य	योजना विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सदस्य	वित्त विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सदस्य	समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव / सचिव

सदस्य	स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सदस्य	शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सदस्य	कौशल विभाग के प्रधान सचिव/सचिव
सदस्य	श्रम विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सदस्य	महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव
सदस्य	सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग
आमंत्रित सदस्य	अध्यक्ष के अनुमोदन द्वारा कोई अन्य सरकारी / जन प्रतिनिधि

ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के कार्य

- 1. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- 2. सरकारी स्कीमों में टीजी व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करना।
- 3. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, कौशल, कानूनी और सभी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- 4. घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करना।
- 5. विकल्प के रूप में "ट्रांसजेंडर" का समावेशन सुनिश्चित करना जिसमें किसी भी सरकारी विभाग द्वारा लिंग संबंधी जानकारी एकत्र की जाती है।
- 6. राज्य सरकार के जिला अधिकारियों द्वारा ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी निगरानी करना।
- 7. यह निगरानी करना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र को विभिन्न सरकारी स्कीमों के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में माना जाता हो।
- 8. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के नियम-9 के संदर्भ में, जिला प्राधिकारी द्वारा ट्रांसजेंडर पहचान आवेदनों को खारिज कर दिए जाने की स्थिति में सभी जिलों में अधिसूचना द्वारा "अपीलीय प्राधिकारी" को नामित करना।
- 9. ट्रांसजेंडर समुदाय के बचाव, संरक्षण, पुनर्वास, कल्याण और मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य स्तरीय नीति का निर्माण करना।
- 10. ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की निगरानी करना।
- 11. सदस्य सचिव ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की वार्षिक बैठक आयोजित करने, बैठक के कार्यवृत्त को जारी करने और उसका रिकार्ड रखने तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों को समय पर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेषित करने संबंधी कार्य करना।